प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

दांडिक अपील कमांक 238/2011

छोटा अहिरवार *अपीलार्थी*

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन *प्रत्यर्थी*

निर्णय

न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा जारी उस निर्णय व आदेश दिनांक 5 नवंबर 2008 के विरूद्ध है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील कमांक 1050/1994 निरस्त की गई व सत्र प्रकरण क० 13/1993 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश के निर्णय दिनांक 26 अगस्त, 1993 के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अपराध के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि को स्थिर रखा गया है।

2. अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन, मुख्य अभियुक्त खिलई के साथ सामान्य आशय से शिकायतकर्ता की हत्या करने का प्रयत्न करने एवं शिकायतकर्ता को मारने के सामान्य आशय के अग्रसरण में कथित अभियुक्त खिलई को शिकायतकर्ता पर कट्टा से गोली चलाने हेतु उकसाने के आरोप पर, सत्र न्यायालय द्वारा

विचारित किया गया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 22 अक्टूबर, 1992 की सुबह लगभग 11:00 बजे, अभियुक्त अपीलार्थी तथा शिकायतकर्ता के मध्य झगड़ा हुआ जिसमें कथित अभियुक्त खिलई ने हस्तक्षेप किया। जो कथित अभियुक्त खिलई, अभियुक्त अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता के साथ भाामिल हुआ था, उसने अपीलार्थी के उकसाने पर अपने पेंट की जेब से एक देशी कट्टा निकाला तथा शिकायतकर्ता की ओर निशाना लगाया और गोली चलाई, जिसने कथित अभियुक्त खिलई से शिकायतकर्ता को मारने के लिए कहा था। जिससे कट्टे से निके हुए छर्रों से शिकायतकर्ता के माथे पर आंख के पास एवं होठों पर एवं कंधे पर चोटें आईं और खून निकलने लगा। आगे अभियोजन की कहानी यह है कि गोली चलाने के बाद अभियुक्त खिलई घटनास्थल से भाग गया तथा अभियुक्त अपीलार्थी उसके पीछे भागा। उसके तुरंत बाद, शिकायतकर्ता ने मोहदरा चौकी में रिपोर्ट की। रिपोर्ट को पुलिस थाना सिमरिया को अग्रेषित किया गया जहां अपराध क्रमांक 110/1992 पंजीकृत किया गया।

4. अण्वेषण के पश्चात, अभियुक्त अपीलार्थी व मुख्य अभियुक्त खिलई के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया, दोनों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया तथा विचारित किए जाने का दावा किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपों को स्थापित करने हेतु अभियोजन ने 11 साक्षियों की परीक्षा की। ना ही अभियुक्त अपीलार्थी और ना ही मुख्य अभियुक्त खिलई ने किसी साक्षी का परीक्षण किया।

5. निर्णय दिनांक 26 अगस्त, 1994 द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना ने अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/34 एवं मुख्य अभियुक्त खिलई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराधका दोषी ठहराया। उसी दिन जारी दण्डादेश के एक आदेश द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

6. उक्त दोशसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश से व्यथित होकर अभियुक्त अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील क्र० 1050/1994, इस अपील में आक्षिप्त निर्णय व आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।

7. अभियुक्त अपीलार्थी, मुख्य अभियुक्त खिलई एवं शिकायतकर्ता सभी रिश्तेदार थे। मुख्य अभियुक्त खिलई के पिता व शिकायतकर्ता के काका सुंदरलाल ने भूमि का अपना भाग कृषि हेतु अभियुक्त अपीलार्थी को दिया था। परिवार के सदस्यों के मध्य भूमि विवाद था और विशेषकर शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त अपीलार्थी के मध्य।

8. अभियोजन द्वारा परीक्षित किए गए ग्यारह साक्षियों में से, पहले अभियोजन साक्षी (अ०सा० 1) ने मात्र घटनास्थल के रेखा–मानचित्र बनाने की साक्ष्य दी एवं द्वितीय अभियोजन साक्षी (अ०सा० 2) ने जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में प्रकरण के अभिलेख की प्राप्ति की गवाही दी। छठवें अभियोजन साक्षी (अ०सा० 6) ने मात्र घटनास्थल का नक्शा, लोहे के एक छर्रे, खून के धब्बे युक्त कुछ कपड़े व सामान की बरामदगी की गवाही दी। तीन साक्षीगण यथा 5वें, 9वें एवं 10वें (अ०सा० 5, अ०सा० 9, अ०सा० 10) ने अभियोजन द्वारा बनाए गए प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। नौवें व दसवें अभियोजन साक्षीगण जिन्हें अपनी उपस्थिति में, हथियार की बरामदगी के लिए मुख्य अभियुक्त खिलई के द्वारा कथित संस्वीकृति की गवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था, ने स्पष्ट रूप से कट्टे की बरामदगी के समय स्वयं की उपस्थिति से इंकार किया एवं पक्षद्रोही घोषित किए गए। उन्होने इस बात से भी इंकार किया कि मुख्य अभियुक्त खिलई ने कोई संस्वीकृति की थी। 11 वें अभियोजन साक्षी (अ०सा० 11) ने मात्र अभियुक्त अपीलार्थी की गिरफ्तारी की गवाही दी। इन साक्षीगण की साक्ष्य की अभियुक्त अपीलार्थी के अपराध के साथ कोई संबध्दता नहीं है।

9. आठवाँ अभियोजन साक्षी (अ०सा० 8) जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहदरा में सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा था, ने शिकायतकर्ता के शरीर पर पाई गई चोटों का वर्णन किया तथा यह मत दिया कि चोटें किसी आग्नेय शस्त्र के छर्रों द्वारा कारित की गईं थी। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि परीक्षण के समय चोट से कई छर्रे नहीं पाए गए। इस साक्षी की साक्ष्य यह सुझाती है कि चोटें कट्टे से गोली चलाने से आ सकती थीं। उन्होने पत्थर के विस्फोट के परिणामस्वरूप होने वाली चोटों की संभावना से इनकार किया। प्रमुखतः, अ०सा० 8 साक्ष्य यह स्थापित करती है कि कट्टे से गोली चलाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को चोटें आईं। इस साक्षी ने, कट्टे को साफ करने के दौरान चोटें आने की संभावना से इनकार नहीं किया। इस साक्षी ने भी अभियुक्त अपीलार्थी के दोष के संबंध में कुछ नहीं कहा है।

10. 7वाँ अभियोजन साक्षी (अ०सा० 7) अण्वेषण अधिकारी था, जिसने यह साक्ष्य दिया कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सिमरिया भेजी थी जिसके आधार पर आपराधिक प्रकरण क्र० 110/1992 अंतर्गत् धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया था और शिकायतकर्ता, प्रेम शंकर कटेहा (अ०सा० 4), सब्बू चौरसिया एवं भरत का परीक्षण किया एवं घटनास्थल से खून के धब्बेयुक्त कपड़े, सामान इत्यादी जप्त किया था।

11. अ०सा० 1, अ०सा० 2, अ०सा० 5, अ०सा० 6, अ०सा० 7, अ०सा० 8, अ०सा० 9, अ०सा० 10 एवं अ०सा० 11 की साक्ष्य में अभियुक्त अपीलार्थी का दोष स्थापित करने के लिए कुछ नहीं है। शिकायतकर्ता, मुख्य आरोपी खिलई का एक भतीजा एवं एक अन्य आहत साक्षी ने वही साक्ष्य दी जा कि 3 रे अभियोजन साक्षी (अ०सा० 3) ने दी। अ०सा० 3 ने कहा कि 22 अक्टूबर, 1992 की सुबह लगभग 11:00 बजे जब वह अपने घर से खरेजा की ओर जा रहा था, तब अभियुक्त अपीलार्थी ने उसे रास्ते पर रोका और उसे अपनी भूमि पर खेती नहीं करने को कहा। मुख्य अभियुक्त भी आया और हस्तक्षेप किया, जिस पर शिकायतकर्ता ने मुख्य अभियुक्त खिलई से हस्तक्षेप नहीं करने को तथा घर जाने को कहा क्योंकि शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) एवं अभियुक्त अपीलार्थी के मध्य विवाद से उसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था।

12. शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने साक्ष्य में कहा कि घर जाने के लिए कहे जाने पर, मुख्य अभियुक्त खिलई ने अपनी पतलून के दाहिने जेब से एक कट्टा निकाला और उसकी ओर निशाना लगाया। शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने मुख्य अभियुक्त खिलई से गोली नहीं चलाने को कहा, जिस पर अभियुक्त अपीलार्थी ने मुख्य अभियुक्त खिलई से शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) को मारने को कहा। तत्पश्चात्, मुख्य अभियुक्त खिलई ने कट्टे से गोली चलाई जिसके छर्रों से शिकायतकर्ता को चोटें कारित हुईं। शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) आगे यह कहता है कि घटना, प्रेम शंकर कटेहा जिसने अभियोजन के लिए चौथे साक्षी (अ०सा० 4) के रूप में साक्ष्य दी जो घटना स्थल पर था एवं सब्बू चौरसिया जो तेल बेच रहा था एवं भरत कटेहा जो तेल की कुप्पियाँ जमा रहा था, की उपस्थिति में हुई थी।

13. शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) के अनुसार, उपरोक्त तीनों व्यक्तियों प्रेमशंकर कटेहा (अ०सा० 4), सब्बू चौरसिया एवं भरत कटेहा ने मुख्य अभियुक्त खिलई को ललकारा जिस पर खिलई बस स्थानक की ओर भाग गया और अभियुक्त अपीलार्थी दौड़ते हुए उसके पीछे

गया।

14. शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि जब तीखी बहस चल रही थी और शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने मुख्य अभियुक्त को हस्तक्षेप करने से मना किया क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं था, तब मुख्य अभियुक्त खिलई ने अपनी पतलून की जेब से कट्टा निकाला औ शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) की ओर निशाना साधा। जब शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने मुख्य अभियुक्त खिलई से गोली नहीं चलाने को कहा तब अभियुक्त अपीलार्थी ने अभियुक्त खिलई को शिकायतकर्ता को मारने के लिए उकसाया। शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने कहा कि उसके बाद मुख्य अभियुक्त खिलई ने उस पर गोली चलाई।

15. शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) की साक्ष्य, अपीलार्थी एवं अभियुक्त, एवं/अथवा उनके अपने परिवार के नजदीकी सदस्यों के मध्य गंभीर विवाद के अस्तित्व को इंगित करती है। अपने प्रतिपरीक्षण में शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने स्वीकारा है कि घटना से एक वर्ष पूर्व सुंदरलाल चाचा अर्थात् मुख्य अभियुक्त खिलई के पिता ने शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) एवं उसके पिता आशाराम के विरूद्ध तहसील कार्यालय पवई में विवादग्रस्त भूमि के संबंध एक आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने कहा कि घटना के समय उसके चाचा सुंदरलाल ने अभियुक्त अपीलार्थी को खेती करने के लिए बटाई में अपना हिस्सा दे दिया था। उसने कहा कि उसके चाचा सुंदरलाल का वह हिस्सा, जो अभियुक्त अपीलार्थी को बटाई में दिया गया था, भूमि के उसके हिस्से से लगा हुआ था। शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकारा कि मुख्य अभियुक्त खिलई एवं उसके पिता सुंदरलाल द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर, शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) एवं उसके छोटे भाई बुट्टू के अधीन न्यायिक दण्डाधिकारी, पवई के न्यायालय में एक प्रकरण अंतर्गत् धारा 379 एवं 447 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया है । यह प्रकरण घटना से पूर्व संस्थित किया गया था। शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने यह स्वीकारा है कि, शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) एवं/अथवा उसके निकट पारिवारिक सदस्य एवं अभियुक्त अपीलार्थी व उसके पारिवारिक सदस्यों के मध्य कई अन्य मामले थे, जो कि घटना के समय लंबित थे।

16. यह विवादित नहीं है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने ना तो हथियार लाया ना ही गोली चलाई। अभियुक्त अपीलार्थी पर आरोप है कि उसने गोली चलाने के लिए उकसाया। प्रतिपरीक्षण में

शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) ने स्वीकार किया है कि उसके द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन अपने कथन में अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा मुख्य अभियुक्त खिलई को उकसाने के बारे में कुछ नहीं कहा था।

17. सत्र न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस आधार पर कार्यवाही की है कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी अ०सा० 4 ने शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) की साक्ष्य की पुष्टि की थी। तथापि सत्र न्यायालय ने, अभियुक्त अपीलार्थी की आरोपित भूमिका के संबंध में अ०सा० 4 की साक्ष्य एवं शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) की साक्ष्य के मध्य गंभीर विसंगतियों की उपेक्षा की है। शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) स्वयं में चोटिल साक्षी ने यह कहा था कि मुख्य अभियुक्त खिलई द्वारा शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) की ओर पिस्तोल तानने के बाद अभियुक्त अपीलार्थी ने मुख्य अभियुक्त खिलई को उसे मारने के लिए उकसाया था, जबकि अ० सा० 4 ने कहा कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) को मारने के लिए कहे जाने पर मुख्य अभियुक्त खिलई ने अपनी पतलून के दाहिने जेब से पिस्तोल निकाली और गोली चलाई।

18. अ०सा० 4 की साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता (अ०सा० 4) भूमि संबंधित विवाद पर झगड़ रहे थे। अभियुक्त अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) से खेत की ओर नहीं जाने को कहा जिस पर शिकायतकर्ता ने मुंहतोड़ जवाब दिया कि जमीन उसके दादा–दादी की है और उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऊँची आवाज के साथ तीखी बहसबाजी ने ध्यान आकर्षित किया और 50/60 ग्रामीण घ ाटना स्थल पर एकत्र हो गए। मुख्य अभियुक्त खिलई, जो घटना स्थल के पास साइकिल चला रहा था, रूका और शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) से कहा वह खेत क्यों जा रहा था जिस पर अभियुक्त अपीलार्थी ने मुख्य अभियुक्त खिलई से कहा कि शिकायतकर्ता आसानी से नहीं मानेगा तथा मुख्य अभियुक्त से उसे मारने को कहा। इसी समय मुख्य अभियुक्त खिलई ने अपनी जेब से कट्टा निकाला।

19. अ० सा० 5 जो कि पक्षद्रोही घोषित किया गया था, ने पुष्ट किया कि शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त अपीलार्थी के मध्य कहासुनी थी। इस अपीलार्थी के अनुसार मुख्य अभियुक्त खिलई आया था और उसके हस्तक्षेप किया था। मुख्य अभियुक्त खिलई ने शिकायतकर्ता को गालियां दी, अपनी जेब से कट्टा निकाला और धमकी दी कि यदि वह खेत जाएगा तो

वह मार देगा। तत्पश्चात् मुख्य अभियुक्त घर के पिछवाड़े की ओर गया, जिसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अ० सा० 5 ने यह नहीं कहा था कि अभियुक्त अपीलार्थी ने मुख्य अभियुक्त खिलई को गोली मारने के लिए उकसाया था।

20. यह विवादित नहीं है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने गोली नहीं चलाई। अभियोजन ने आरोप लगाया है कि मुख्य अभियुक्त खिलई ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी पिस्तोल से गोली चलाई और शिकायतकर्ता को घायल किया। प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन द्वारा स्थापित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन धारा 34 के अवलंबन पर दोषसिद्ध ठहराया जा सकता था।

21. आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि मात्र उसी व्यक्ति को, जिसने वास्तव में अपराध कारित किया है, दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है तथा विधि अनुसार सजा दी जा सकती है। हालाकि धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत का निर्धारण करती है, जिसका सार सामान्य आशय के अस्तित्व में, ऐसे आशय के अग्रसरण में मुख्य अभियुक्त को आपराधिक कृत्य करने के लिए उकसाने में, ढूंढना होता है। भले ही जब दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में भिन्न भिन्न कृत्य किए जाते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति सभी कृत्यों के परिणाम के लिए उत्तरदाई होगा मानो सभी कृत्य इन सभी व्यक्तिों द्वारा किए गए हों।

22. जैसा कि इस न्यायालय ने, ए० आई० आर० 1958 सु० को० 672 में प्रतिवेद्य बी० एन० श्रीकांतिया विरूद्ध सिद्दिया, ए० आई० आर० 1960 सु० को० 289 में प्रतिवेद्य भारवाड़ मेपा दाना एवं एक अन्य विरूद्ध बौम्बे राज्य एवं अन्य समान प्रकरणों में, निर्धारित किया है कि धारा 34 मात्र साक्ष्य का एक नियम है जो कि संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करता है एवं कोई भिन्न, मौलिक अपराध का सृजन नहीं करता। उदाहरण के लिए हरवंश कौर व एक अन्य विरूद्ध हरियाणा राज्य (2005)9 एस० सी० सी० 195 में न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत; धारा 34 का भेदक लक्षण कार्य में भागीदारी का तत्व है।

23. जैसा कि ए० आई० आर० 2007 सु० को० 2274 में प्रतिवेद्य मानिक दास एवं अन्य विरूद्ध असम राज्य में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है सामान्य आशय का अनुमान मात्र साबित तथ्यों एवं परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। अवश्य, जैसा कि (2010) 3 एस० सी० सी० 381 में प्रतिवेद्य अब्दुल मन्नान विरूद्ध असम राज्य में अभिनिर्धारित किया

गया है, सामान्य आशय किसी घटना के अनुक्रम के दौरान विकसित हो सकता है।

24. धारा 34 मात्र तभी आकर्षित होती है जब कोई विशिष्ट कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, उस प्रकरण में सभी अपराधी उस आपराधिक कृत्य के लिए मुख्य आराधी की तरह उसी प्रकार से उत्तरदायी हैं; मानो वह कृत्य सभी अपराधियों द्वारा किया गया था। यह धारा मुख्य कृत्य कारित करने वाले मुख्य अपराधी के उत्तरदायित्व को कम नहीं करती बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य अपराधियों को उत्तरदायी बनाती है। जैसा कि (2003) 1 एस० सी० सी० 268 में प्रतिवेद्य लल्लन राय एवं अन्य विरूद्ध बिहार राज्य में अभिनिर्धारित है किया गया है, धारा 34 के अधीन उत्तरदायित्व का सार, किसी विशिष्ट परिणाम को घटित करने हेतु आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के मन की एक आम सहमति है, यहां तक कि वह सहमति घटनास्थल पर भी विकसित हो सकती है। किसी विशिष्ट अपराध को कारित करने का एक सामान्य आशय होना चाहिए। सामान्य आशय को गठित करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि प्रत्येक अभियुक्त का आशय बाकी के अभियुक्तों को मालूम होना चाहिए।

25. सामान्य आशय मढ़ने के लिए मात्र दूसरों के साथ अपराध में सहभागिता पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्या यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियोजन ने अभियुक्त अपीलार्थी एवं मुख्य अभियुक्त खिलई के बीच शिकायतकर्ता को मारने का सामान्य आशय स्थापित किया। दूसरे शब्दों में, अभियोजन के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त अपीलार्थी व मुख्य अभियुक्त खिलई दोनों का शिकायतकर्ता को मारने के उस पूर्व निर्धारित आशय को साबित करे, जिससे अभियुक्त अपीलार्थी तथा मुख्य अभियुक्त खिलई दोनों ही अवगत थे। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 का प्रयोजन, ऐसे प्रकरण को सुलझाना है, जिसमें किसी पक्ष के एक–एक व्यक्ति के कृत्यों के मध्य भेद किया जाना तथा यह सिद्ध किया जाना कि उनमें से किसके द्वारा कौन सी भूमिका निभाई गई थी कठिन है।

26. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी प्रत्यक्ष कृत्य की आवश्यकता नहीं होती यदि वे उस अंतिम आपराधिक कृत्य के संबंध में अन्य अभियुक्तगणों से अपना सामान्य आशय साझा करते हैं, जिसे ऐसा आशय साझा करने वाले अभियुक्तगण में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है {देखें अशोक बाशो

(2010) एस० सी० सी० 660(669)} ए० आई० आर० 1925 प्रिवी काऊंसिल 1 में प्रतिवेद्य एक प्रसिद्ध प्रकरण बारेन्द्र कुमार घोष में प्रिवी काऊंसिल के निर्णय से उद्धरण हेतु "वे भी सेवा करते हैं जो खड़े रहते है और प्रतीक्षा करते हैं"।

27. सामान्य आशय से तात्पर्य है किसी ताल में कार्य करना। पूर्व से बनाई गई योजना को या तो अभियुक्त के आचरण से, या परिस्थितियों से या किसी दोषी ठहराने वाले तथ्यों से साबित किया जाना चाहिए। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से समान आशय रखना पर्याप्त नहीं है।

28. इस प्रकरण में प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त अपीलार्थी एवं मुख्य अभियुक्त खिलई के मध्य शिकायतकर्ता को मारने के उस पूर्वायोजित सामान्य आशय को स्थापित करने में सक्षम रहा है जिसके अग्रसरण में अभियुक्त खिलई ने अपने कट्टे से गोली चलाई। उक्त प्रश्न का उत्तर निम्न कारणों से नकारात्मक होता है।

(i) झगड़ा अभियुक्त अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता के मध्य शुरू हुआ। जब अभियुक्त अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को खेत जाने से रोकने का प्रयास किया तो शिकायतकर्ता ने ऐसा करने का हठ किया। जब झगड़ा चल रहा था, तब मुख्य अभियुक्त खिलई घटनास्थल पर पहुंचा और उसने हस्तक्षेप किया जिस पर शिकायतकर्ता ने उसे यह कहकर मना किया कि वह अपने घर जाए क्योंकि उसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस पर, मुख्य अभियुक्त खिलई ने अपनी पतलून के दाहिने जेब से कट्टा निकाला और शिकायतकर्ता की तरफ तान दिया।

(ii) घटनास्थल पर एकत्रित होने की किसी पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने की कोई साक्ष्य नहीं है। स्थापित परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि मुख्य अभियुक्त खिलई द्व ारा किया गया हस्तक्षेप संयोगवश था। जब अभियुक्त अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता झगड़ रहे थे तब वह घटना स्थल के पास से गुजर रहा था।

(iii) शिकायतकर्ता, जो कि एक आहत साक्षी है की साक्ष्य के अनुसार, जब शिकायतकर्ता ने मुख्य अभियुक्ल खिलई को हस्तक्षेप ना करने व अपने घर चले जाने को कहा, तब खिलई ने अपनी पतलून के दाहिने जेब से कट्टा निकालकर तथा शिकायतकर्ता की ओर निशाना साधकर प्रतिक्रिया की। अभियुक्त अपीलार्थी की ओर किसी

उकसाहट के बिना मुख्य अभियुक्त खिलई द्वारा कट्टा निकाला गया व निशाना साधा गया।

(iv) भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि अभियुक्त अपीलर्थी ने अपनी साक्ष्य में उन भाब्दों का उच्चारण किया था जो कि शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) द्वारा कहे गए थे, फिर भी ऐसा क्षण भर में किया जाना प्रतीत होता है। पूर्व व्यवस्था स्थापित नहीं होती है।

(v) जैसा कि ऊपर अवलोकित किया गया है कि शिकायतकर्ता (अ०सा० 3) एवं अ० सा० 4 की साक्ष्य के मध्य उल्लेखनीय विसंगतियाँ हैं जो उनकी साक्ष्य की सत्यता एवं/अथवा यथार्थता के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं, विशिष्टतया शत्रुता एवं पक्षों के मध्य पारिवारिक विवाद के पूर्व अस्तित्व की दृष्टि में।

(vi) भले ही अ० सा० 5 को पक्षद्रोही घोषित किया गया हो, किंतु उसकी साक्ष्य को पूर्व रूप से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस साक्षी ने यह भी पुष्ट किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता के मध्य एक झगड़ा हुआ था, जिसमें मुख्य अभियुक्त खिलई ने हस्तक्षेप किया, अपना कट्टा निकाला और शिकायतकर्ता पर तान दिया। ये तथ्य अ०सा० 3 (शिकायतकर्ता) व अ० सा० 4 द्वारा संपुष्ट होते हैं। इस साक्षी ने हालांकि यह कहा है कि मुख्य अभियुक्त खिलई ने कट्टा निकाला और शिकायतकर्ता को मारने की धमकी दी। उसने यह नहीं कहा कि अभियुक्त अपीलार्थी ने मुख्य अभियुक्त खिलई से गोली चलाने को कहा।

29. भले ही इस बात के कुछ साक्ष्य हों कि मुख्य अभियुक्त खिलई ने कट्टा निकाला और गोली चलाई, किन्तु अभियोजन दुर्भाग्यवश, शिकायतकर्ता को मारने के लिए घटनास्थल अथवा अन्यत्र, अभियुक्त अपीलार्थी एवं मुख्य अभियुक्त खिलई के पूर्वायोजित अथवा पूर्वनिर्धारित संयुक्त आशय को स्थापित करने में असफल हो गया है। अभियोजन यह सिद्ध करने में भी असफल हो गया है कि अभियुक्त अपीलार्थी की प्रेरणा पर कट्टे से गोली चलाई गई। हमारे विचार में सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ने ही अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है।

30. उपरोक्त विचारित कारणों से, यह अपील स्वीकृत की जाती है। इस अपील के अधीन, सत्र

न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय व आदेश पुष्ट करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय एवं आदेश तथा सत्र न्यायालय के निर्णय एवं आदेश जो कि अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध हैं, अपास्त किए जाते हैं। अभियुक्त अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है तथा तुरंत मुक्त किए जान हेतु निर्देशित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त खिलई की दोषसिद्धि के गुणदोषों पर विचार नहीं किया है एवं यदि मुख्य अभियुक्त खिलई के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई है तो यह उसके स्वयं के गुणदोषों पर निर्णीत की जाएगी।

न्यायमूर्ति.....)

(इंदिरा बैनर्जी)

न्यायमूर्ति.....)

(एस० रवीन्द्र भाट)

नई दिल्ली

06 फरवरी 2020

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।
